

आदेश

श्री दयानंद पुत्र श्री रामकिशन, उप-चैयरमैन, पंचायत समिति, हांसी-1, जिला हिसार द्वारा उप-चैयरमैन, पंचायत समिति, हांसी-1, जिला हिसार के पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 10-02-2025 जोकि उपायुक्त, हिसार के सिफारिश पत्र क्रमांक/चुनाव सहायक/ पंचायत/2025/412 दिनांक 16-04-2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
28-04-2025

दुष्मन्ता कुमार बैहरा, आई0ए0एस0
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ0 क्रमांक ई0सी0ए05-2025/ 19737-43 दिनांक : 30/04/2025.

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं0 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, हिसार को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक/चुनाव सहायक/पंचायत/2025 /412 दिनांक 16-04-2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, हिसार।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हांसी-1, जिला हिसार।
5. अध्यक्ष, पंचायत समिति, हांसी-1, जिला हिसार।
6. श्री दयानंद पुत्र श्री रामकिशन निवासी गाँव ढाणा खुर्द, तहसील हांसी-1, जिला हिसार
7. आई0टी0 सैल, मुख्यालय।

Mohit


अधीक्षक (चुनाव) 30/04/2025

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।